न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 24/18 निर्णय दिनांकः– 12-7-2022
(जीसीएमएस संख्या 2018/00339)

1. गिरधारी पुत्र अर्जुनराम जाति नाई निवासी ग्राम पुनरासर तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2018
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः–
1. श्री सुनील कुमार रांकावत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2018 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट के नाम मौजा रोही पुनरासर के खसरा नम्बर 938 (पुराना खसरा नम्बर 919/697) तादादी 9.10 हैक्टर खातेदारी भूमि है। जोकि अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अपीलांट की खातेदारी भूमि पर चारों तरफ तारबन्दी व पट्टियाँ रोपी हुई है। अपीलांट की जितनी खातेदारी भूमि है उसी पर उसका कब्जा काश्त है। इस प्रकार न तो अधिक भूमि पर कब्जा काश्त है ना ही कम भूमि पर कब्जा काश्त है। यानि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम से दर्ज भूमि पर ही अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया दावा, दावे की श्रेणी में नहीं आता है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष मात्र एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दावे के रूप में दर्ज करते हुए विधि विरूद्व जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य ली गई। जबकि दावे के निर्णय ये पूर्व यह आज्ञाप्क प्रावधान है। परन्तु अदालत मातहत द्वारा दावे की प्रक्रिया को अपनाये बिना व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सम्मन की तामील करवाये बिना एकतरफ तौर पर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट के धारण की भूमि को कम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के धारण की खातेदारी भूमि पर इस आधार पर कार्यवाही की गई है कि ग्राम में 203 बीघा भूमि अधिक आवंटन है। लिहाजा मूल रकबे से अधिक आवंटन को शून्य धोषित किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा यह कहीं भी अभिलिखित नहीं किया गया है कि उक्त 203 बीघा अधिक भूमि किस प्रकार रिकार्ड में दर्ज की गई है। अदालत मातहत द्वारा मात्र औपचारिकता पूर्ण करते हुए जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेशों की पालना करने की नियत मात्र से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त दोनों धाराओं में कार्यवाही से पूर्व नियमानुसार तनकीयात् कामय करते हुए व जवाबदावा, साक्ष्य ली जाकर व दावे व जवाब दावे के अनुसार तनकीयात् कायम करते हुए प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन व विवरण अंकित करते हुए आदेश पारित किया जाना होता है परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन तमाम कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति किये बिना दिनांक 16–03–2018 को प्रकरण दर्ज करते हुए दिनांक 28–03–2018 को प्रकरण निस्तारण कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मात्र 12 दिवस के भीतर–भीतर तमाम कार्यवाही पूर्ण कर दी गई। उक्त दिवसों में नोटिस भी जारी कर दिया गया व नोटिस की तामील भी प्राप्त हो गई, संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट भी प्राप्त कर ली गई। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही यह साबित होता है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये व प्रकरण को निपटाने के उद्वेश्य मात्र से की गई कार्यवाही है। चाहे उक्त कार्यवाही में किसी काश्तकार के खातेदारी अधिकारों पर ही कोई प्रभाव ना पड़ जावे।

अदालत मातहत ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य लिये गये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 16-03-2018 को अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट/प्रतिवादी की ग्राम पुनरासर के खसरा नम्बर 938 (पुराना खसरा नम्बर 919/697) में रकबा 8.57 हेक्टर भूमि पर ही कब्जा काश्त है अतः कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में इन्द्राज करने हेतु शुद्धि आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(33)राज/4/87/26 दिनांक 20-11-1987 के अनुसार समय समय पर आंवटित भूमि व आवंटियों के कब्जे में अन्तर पाये जाने की स्थिति में कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने की कार्यवाही की जावे व यदि किसी आवंटी का आवंटित भूमि से अधिक कब्जा पाये जाने की स्थिति में आवंटित क्षेत्रफल तक ही खातेदारी का इन्द्राज किया जावे। इस संबंध में जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा दिनांक 08-03-2018 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा संबंधित तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह अभिलिखित किया कि अपीलांट/प्रतिवादी का ग्राम पुनरासर के खसरा नम्बर 938 पुराना खसरा नम्बर 919/697 रकबा 8.57 हेक्टर भूमि पर ही कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के वास्तविक कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में इन्द्राज करने हेतु आदेश पारित किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अदालत मातहत का आदेश जैर अपील वास्तविक कब्जे काश्त के अनुसार पारित किया गया आदेश है। जो सही है। अतः अपीलांट इस अपील के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़ द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 16—03—2018 को अपीलांट के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट/प्रतिवादी को ग्राम पुनरासर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 938 (पुराना खसरा नम्बर 919/697) रकबा 9.10 हेक्टर आवंटित है परन्तु मौके पर अपीलांट/प्रतिवादी का खसरा नम्बर 938 रकबा 8.57 हेक्टर पर ही कब्जा काश्त होने के कारण कब्जे की सीमा तक राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में इन्द्राज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28—03——2018 को आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् के वास्तविक कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में इन्द्राज करने के आदेश प्रदान किये किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रतिवादी को वर्ष 1969—71 में आवंटन किया गया। गत् बन्दोबस्त व ग्राम के नक्शे में उक्त खसरों की सीमाए काल्पनिक है जोकि मौके पर नहीं है। ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि पर सही कब्जा न होने से आवंटित भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हो पा रही है। अतः आवंटियों को मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शें में इन्द्राज किया जाना उचित है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) चूंकि प्रस्तुत मामलों में भू—प्रबन्ध के दौरान ग्राम के कुल क्षेत्रफल के मुकाबलें भू—प्रबन्ध खतौनी में कुल 203 बीघा भूमि अधिक आवंटन का नोट अंकित है। ऐसी स्थिति में मूल रकबे से अधिक आवंटन को शून्य धोषित किया जाना व आवंटियों का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शे में इन्द्राज किया जाना अनिवाय है ताकि राजस्व रिकार्ड में अधिक 203 बीघा भूमि के अधिक अंकन का मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार अंकन किया जा सके।

(4) प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित तहसीलदार द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16—03—2018 को अपीलांट को नोटिस जारी किया गया कि वे दिनांक 28—03—2018 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आवे। उक्त नोटिस अपीलांट के पुत्र को तामील करवाये गये। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

(5) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही प्रत्येक खसरा नम्बर की आकृति राजस्व नक्शे के अनुसार किये जाने के फलस्वरूप राजस्व (ग्रुप—1) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6 (33) राज/4/87/26 दिनांक 20—11—1987 के अनुसार जिसमें अभिलिखित है कि समय—समय पर आवंटित भूमि व आंवटियों क कब्जे में अन्तर पाये जाने की स्थिति में कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने की कार्यवाही की जावे। यदि किसी आवंटि का आवंटित भूमि के मुकाबले अधिक कब्जा पाया जाता है तो आवंटित क्षेत्रफल तक ही खातेदारी का इन्द्राज किया जावे। इस संबंध में जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ/14—7(7) एलआर/2015/1695 दिनांक 08—03—2018 के माध्यम से राजस्व (ग्रुप—1) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6 (33) राज/4/87/26 दिनांक 20—11—1987 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने पर तमाम कार्यवाही अदालत मातहत द्वारा निष्पादित की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(6) प्रकरण में अपीलांट को वर्ष 1969–71 में खसरा नम्बर 938 (पुराना खसरा नम्बर 919/697) रकबा 9.10 हेक्टर आवंटित है, परन्तु मौके पर अपीलांट/प्रतिवादी का खसरा नम्बर 938 रकबा 8.57 हेक्टर पर ही कब्जा काश्त होने पर अदालत मातहत द्वारा वास्तविक कब्जे काश्त के अनुसार अर्थात खसरा नम्बर 938 की 8.57 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाहीराज्य सरकार के दिशा–निर्देशों व जिला कलेक्टर, बीकानेर के आदेशों के अनुसरण में की गई है। आदेश जैर अपील से अपीलांट के वास्तविक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा मौके पर वास्तविक कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये गये है।

(6) अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलखारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2016 उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 12/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

12/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर